कृअउके, समदड़ी
निविदा प्रपत्र 3 वर्ष-2019-20

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

गोबर की खाद की आपूर्ति कराने हेतु निविदा (वर्ष 2019–20)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2019–20 / सं. 03/
निविदा क्रम संख्या	क्रमांकःएफ()/कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/93 दिनांकः–08.06.2019 (UBN JAU1920GSOB00036)
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / –रूपये रसीद संख्याः...दिनांकः–.....................
निविदा वर्ष	2019–20
गोबर की खाद उपलब्ध कराने की अनुमानित अवधि	जून 2019 से दिसम्बर 2019
अनुमानित लागत	रू. 500000 / –
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	10.06.2019 से 17.06.2019 सुबह 11.30 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	17.06.2019 दोपहर 01.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	17.06.2019 दोपहर 01.30 बजे बाद
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
पत्राचार हेतु पता	प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) (राज.) 344021

नोटः– धरोहर राशि कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर में किसी भी कार्य दिवस में जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 17.06.2019 दोपहर 01.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि **बैंकर्स चेक** या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि **ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी** (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हों, जमा करायी जा सकती हैं।

संलग्नः–निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें–

प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
कृषि विश्वविद्यालयए जोधपुर

निविदा प्रपत्र

(गोबर की खाद की आपूर्ति करने हेतु)

निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500 /- (अक्षरे रू. पाँच सौ मात्र) रसीद संख्या .... दिनांक ....

निविदा सूचना क्रमांक एफ./कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/93 दिनांक 08.06.2019 के तहत कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी पर गोबर की खाद की आपूर्ति करने की निविदा प्रपत्र धरोहर राशि रू 10000 /- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) बैंक ड्राफ़्ट/ बैंकर्स चेक संख्या .... दिनांक ....

निविदादाता का नाम व पूरा पता ....

....

....

दूरभाष नंबर यदि हो : .... मो. नंबर ....

क्र.स.	विविरण	निविदा दर प्रति 100 घन फुट (समस्त प्रकार के कर सहित)
1.	गोबर की खाद की आपूर्ति एवं फ़ार्म के प्लोटो में समान रूप से बिखेरने तक	

हस्ताक्षर निविदादाता (ठेकेदार)

कृअउके, समदड़ी
निविदा प्रपत्र 3 वर्ष-2019-20

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

सूचना क्र./कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/93 दिनांक:- 08.06.2019

गोबर की खाद की आपूर्ति करने हेतु निविदा की शर्ते

1. मुहरबन्द निविदा प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र समदड़ी बाड़मेर के नाम से देय होनी चाहिए ।
2. निविदा मुहरबन्द लिफाफे में भौतिक रूप में भी जमा करवानी है जिसके लिफाफे पर गोबर की खाद की आपूर्ति करने हेतु निविदा तथा दिनांक 08.06.2019 लिखा होना चाहिए।
3. प्रत्येक कार्य की निविदा दर स्पष्ट रूप से अंको व शब्दो में लिखी होनी चाहिए।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. निविदा निविदाशर्तों का अध्ययन करने के पश्चात ही प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
6. निविदा दरें निविदा अनुमोदन के पश्चात मार्च 2020 तक के लिये मान्य होगी । आपसी सहमति से यह समयावधि बढ़ाई जा सकती है।
7. निविदा के साथ रू 10000/- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) धरोहर राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ़्ट/ बैंकर्स चेक के साथ जो की ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हो, व निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/- (अक्षरे रू पाँच सौ मात्र) नकद जमा कर प्रस्तुत करें। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नही की जायेगी तथा धरोहर राशि के रूप में चैक स्वीकार नही किया जायेगा।
8. निविदा दिनांक 17.06.2019 को 01:30 बजे बाद खोली जायेगी । यदि किसी कारण वश उस दिन का अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृति/ अस्वीकृति/ स्थगित/ निरस्त आदि करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं प्रभारी अधिकारी का निर्णय सर्वमान्य होंगे।
10. आपूर्ति एवं बिखेरने का कार्य, प्रभारी अधिकारी/ फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबंधक/ कृषि पर्यवेक्षक की निगरानी में उनके निर्देश के अनुसार पूरा करना होगा ।
11. गोबर की खाद के परिवहन एवं बिखेरने कार्यो के लिए जरूरी वाहन एवं साधन जैसे फावड़ा,कुदाली, गैंती, खुरपी, दंताली, आदि स्वयं के लाने होंगे। गोबर की खाद के परिवहन एवं बिखेरने के कार्य करवाने के लिये श्रमिकों को लाने एवं ले जाने के लिये कोई भी साधन अनुसंधान केन्द्र के द्वारा उपलब्ध नही करवाया जायेगा।
12. कार्य की प्रकृति एवं मांग के अनुसार गोबर की खाद की खाद की आपूर्ति करनी होगी। ठेकेदार को समय - समय पर अग्रिम रूप से सूचित किया जाता रहेगा। ठेकेदार को उसी अनुसार निर्धारित समय पर आपूर्ति करनी होगी अन्यथा, आपूर्ति मे किसी भी प्रकार के विलम्ब को अनुसंधान उप केन्द्र का नुकसान माना जायेगा जो कि धरोहर राशि के बराबर अथवा कमेटी जो निर्धारित करेगी, उसी के अनुसार नुकसान कि भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
13. गोबरकी खाद अच्छी तरह सड़ी हुई होनी चाहिए जिसमे किसी प्रकार का प्लास्टिक, धातु, कॉच, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, खरपतवार के बीज एवं अन्य प्रकार की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए।
14. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म कि फसलों अथवा संपति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा अथवा नुकसान का हर्जाना अदा नही करने पर धरोहर राशि अथवा देय भुगतान में से काट लिया जायेगा।

15. भुगतान केवल गोबर की खाद की आपूर्ति एवं बिखेरने के कार्य कि मात्रा के अनुसार ही किया जायेगा तथा ठेकेदार को अग्रिम तौर पर धन, सामान अथवा किसी प्रकार कि सेवा प्रदान नहीं कि जायेगी।
16. सफल निविदादाता के अतिरिक्त सभी कि धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के पश्चात सात दिन के अन्दर - अन्दर लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
17. सफल निविदादाता यदि ठेका बीच में छोड़ देता है तो उसकी धरोहर राशि व करवाये गये कार्य बकाया भुगतान जब्त करके ब्लेक - लिस्टेड घोषित केर दिया जायेगा।
18. कार्यालय द्वारा स्वीकृति दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा तथा स्रोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी, अन्य कर देय हो तो नियमानुसार कटोती निविदादाता से कि जायेगी।
19. अनुबंधकर्ता को नॉन - ज्यूडिसियल स्टाम्प रूपये 500 या हाल ही घोषित सरकारी दर पर इकरारनामा (अनुबन्ध)प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबन्धित वार्षिक राशि कि 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति (Security) के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करवानी होगी।
20. गोबर की खाद की आपूर्ति एवं बिखेरने के कार्य अवधि में किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार)की होगी। ऐसी स्थिति में अनुसंधान उप केन्द्र की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में अनुसंधान उप केन्द्र प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी ।
21. गोबर की खाद की आपूर्ति एवं बिखेरने के कार्य अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता (ठेकेदार)उत्तरदायी रहेगा।
22. राजस्थान Transparency in public procurement rule 2013 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे ।
23. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु अनुसंधान केंद्र का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं ठेकेदार उसके लिए बाध्य होगा।
24. निविदादाता/ फर्म/ ऐजेंसी के पास आयकर विभाग द्वारा निर्गत वैध पैन नं (PAN No.)/सेवाकर नम्बर इत्यादि व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बंध में दिशा निर्देशित प्रमाण पत्र जो ऐसे निविदादाता के लिए आवश्यक हो, होने चाहिए ।

प्रभारी अधिकारी

मुझे (निविदादाता)समस्त उपरोक्त शर्ते मंजूर है एवं मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता (ठेकेदार)